संख्या-15 / 280/12-3-2015-100(2)/2014

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक:: 25 मार्च, 2015**

विषय:- कृषि विभाग द्वारा एच.डी.पी.ई. पाइप, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम एवं मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन इरीगेशन सिस्टम दर निर्धारण की प्रक्रिया समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक-तिलहन/520/प्रा.स./स्प्रिंकलर/एच.डी.ई.पाइप/2015-16, दिनांक 05.2.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कृषि विभाग में स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम एवं एच.डी.पी.ई. पाइप एवं मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन इरीगेशन सिस्टम की दर निर्धारण की पूर्व प्रचलित प्रक्रिया को समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त व्यवस्था के समाप्त होने के उपरान्त कृषक स्प्रिंकलर सेट एवं एच.डी.पी.ई. पाइप वॉटर कैरिंग पाइप बी.आई.एस. मार्क (निर्धारित विशिष्टियों का) स्थानीय बाजार से निर्माता कम्पनी के डीलर/रिटेलर से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। विभिन्न योजनाओं में अनुमन्य अनुदान की धनराशि लाभार्थी कृषक को सीधे आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जनपदीय आहरण अधिकारियों द्वारा उसके खाते में उपलब्ध करायी जाएगी। कृषक को अति उच्च गुणवत्ता के सिंचाई यंत्र प्राप्त हों, एवं बिक्री के पश्चात 3 वर्ष की अवधि तक कम्पनी द्वारा निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी, एवं स्पेयर पार्टस आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को सर्विस सेंटर खोलने होगे, किन्तु विक्रेता कम्पनियों/डीलरों द्वारा कृषकों को जो स्पेयर पार्टस उपलब्ध कराये जाएंगे, वह निशुल्क नही होगें।

4- लाभार्थियों की सूची जिनमें उनके नाम, पता, मोबाइल नं0, बैंक खाता संख्या तथा अनुदान की धनराशि अंकित होगी। विभागीय वेबसाइट पर अनुदान वितरण की तिथि से 15 दिन के अन्दर फीड कराकर सार्वजनिक डिस्प्ले की व्यवस्था की जाएगी।

5- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in

संख्या-280 (1)/12-3-2015- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाओं सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर कृषि निदेशक, (तिलहन) कृषि भवन, लखनऊ।

2- अपर कृषि निदेशक, (भू.सं.) कृषि भवन, लखनऊ।

3- अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ।

4- नोडल अधिकारी, एन.एफ.एस.एम., कृषि भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर. पी. सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in